प्रेस नोट दिनांक 20.11.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना लीलापुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में जनपद में वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना लीलापुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

उ0नि0 केशव राम मय हमराह हे0का0 अजय यादव व का0 आलोक यादव द्वारा मा0 न्यायालय एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0-13 प्रतापगढ़ द्वारा जारी वारण्ट मु0अ0सं0 159/17 धारा 147/323/504/506 भादवि थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त श्यामलाल पुत्र बृजलाल उर्फ बिल्लू निवासी ग्राम मिश्रपुर लीलापुर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. श्यामलाल पुत्र बृजलाल उर्फ बिल्लू निवासी ग्राम मिश्रपुर लीलापुर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
उ0नि0 केशव राम मय हमराह, हे0का0 अजय यादव, का0 आलोक यादव थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत घटित चोरी की दो घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर अन्तर्जनपदीय अभियुक्त गिरफ्तार, निशानदेही कब्जे से चोरी से संबंधित कुल 141 ग्राम सफेद धातु एवं कुल 2,300 रुपये नकद बरामद।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा चोरी की दो घटनाओं का अनावरण करते हुए 01 शातिर अन्तर्जनपदीय अभियुक्त, मो0 नसीम गिरफ्तार, निशानदेही कब्जे से चोरी से संबंधित कुल 141 ग्राम सफेद धातु एवं 2,300 रुपये नकद बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त एक अन्तर्जनपदीय अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद प्रयागराज एवं जनपद प्रतापगढ़ में चोरी, धोखाधड़ी एवं कूटरचना जैसे अपराधों से सम्बन्धित कुल 06 अभियोग पंजीकृत हैं।

घटना का संक्षिप्त विवरण
प्रथम घटना-
दिनांक 21.10.2026 को वादी अपने घर में ताला बंद कर कार्यालय गया हुआ था तथा घर पर कोई मौजूद नहीं था। शाम को वापस आने पर घर के मुख्य दरवाजे, कमरों एवं अलमारी के ताले टूटे हुए तथा सामान बिखरा हुआ मिला। अज्ञात चोरों द्वारा घर में घुसकर सोने- चांदी के जेवरात एवं ₹50,000/- नकद चोरी कर लिया गया । इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर में मु0अ0स0 658/26 धारा-331 (3) 305 बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

दित्तीय घटना-
दिनांक 02.11.2026 को वादी अपने घर में ताला बंद कर दुकान पर चला गया था तथा उसकी पत्नी एवं बच्चे विद्यालय गए हुए थे। दोपहर को बच्चे विद्यालय से वापस आए तो घर का ताला टूटा हुआ एवं सामान बिखरा मिला। सूचना पर वादी एवं उसकी पत्नी घर पहुंचे तो देखा कि अज्ञात चोरों द्वारा घर का ताला तोड़कर अलमारी में रखे सोने-चांदी के आभूषण एवं ₹40,000/- नकद चोरी कर लिया गया था । इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0-628/2026 धारा 303(3)/305 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया है ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री आलोक कुमार एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री सुभाष कुमार यादव के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर के उ0नि0 अंकित कुमार तिवारी मय हमराह हे0का0 नासिर कमाल द्वारा चोरी की दो घटनाओं से संबंधित 01 वांछित अन्तर्जनपदीय अभियुक्त, मो0 नसीम थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ के पास से गिरफ्तार किया गया ।

अन्तर्जनपदीय अभियुक्त नसीम की निशानदेही पर मु0अ0सं0 658/2026 से सम्बन्धित 80 ग्राम सफेद धातु एवं 1,500 रुपये नकद तथा मु0अ0सं0 628/2026 से सम्बन्धित 61 ग्राम सफेद धातु एवं 800 रुपये नकद बरामद किए गए। उक्त बरामदगी के आधार पर दोनों अभियोगों में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

अभियुक्त से पूछताछ का विवरण-
अभियुक्त मोहम्मद नसीम उपरोक्त द्वारा पूछताछ में बताया कि मैं तथा मेरे साथ तीन और लोग दिनांक 02.11.2026 को दिन में पुरे ईश्वर नाथ थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ के घर में अपने साथी अभिषेक मौर्य उर्फ मोनू पुत्र हरिश्याम मौर्या निवासी पल्टन बाजार गुलशन मदीना थाना कोतावली नगर जनपद प्रतापगढ़ तथा दूसरा पट्टी का रहने वाला तिवारी हैं तथा एक नाम पता अज्ञात व्यक्ति मिलकर घर में लगा ताला तोड़कर जेवरात और पैसा की चोरी किये थे। हम चारों लोग मिलकर चोरी करने की योजना

बनाकर कस्बा व गांव में बंद मकान में लगे ताले के घर की रेकी करते हैं तथा हम लोग मिलकर घर का ताला तोड़कर जेवरात तथा रुपया चोरी करते हैंतथा जेवरात तथा रुपये को आपस में बांट लेते हैं उसी से मैं अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ ।

अन्य चोरी के बारे में पूछने पर बता रहा है कि हम ही चारों लोग मिलकर दिनांक 21.10.2026 को ग्राम रुपापुर में बंद घर में ताला तोड़कर सोना-चाँदी तथा रुपया चोरी किये थे। दोनो घरो से चोरी किये गये जेवरात व पैसा के बारे में पूछने पर बता रहा है कि दोनो घर से चोरी किये जेवरात जिसे अभिषेक उर्फ मोनू मौर्या ले गया था, तथा एक हफ्ते बाद हमको दो सफेद धातू प्लेट और 8,000/ रुपया दिया था, मुझसे 5700/- रु0 खर्चा हो गया था तथा अब मेरे पास 2300/- रुपया बचा हैं, जो मेरे पास हैं, जिसको मैं रामलीला मैदान मंच के पास में काली पन्नी में रख कर सफेद धातु के साथ झाडी में छुपाया हूं बाकी सामान व पैसा मोनू मौर्या तथा अन्य दो लोग ले गये थे, अगर आप हमें रामलीला मैदान के पास ले चलेगे तो मैं आपको वह जगह दिखा दूंगा जहां पर मैने पैसा और चोरी का सामान रखा हूं निकाल कर आपको दे दूंगा । अभियुक्त की निशानदेही पर बताये गये स्थान से सफेद धातु व नगद रुपये बरामद किए गये ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण -
1. मो0 नसीम पुत्र भोला नि0 रतनमई याना दिलीपपुर प्रतापगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष ।

अन्तर्जनपदीय अभियुक्त नसीम का आपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0 527/2016 धारा 379, 41, 411, 414, 419, 420, 467, 468, 471 भादवि, थाना सोरांव, जनपद प्रयागराज।
2. मु0अ0सं0 389/2016 धारा 41, 411, 414, 419, 420, 467, 468, 471 भादवि, थाना सोरांव, जनपद प्रयागराज।
3. मु0अ0सं0 474/2017 धारा 379, 401, 411, 414, 419, 420, 467, 468, 471 भादवि, थाना कन्धई, जनपद प्रतापगढ़।
4. मु0अ0सं0 709/2017 धारा 379, 411, 419, 420, 467, 468, 471 भादवि, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।
5. मु0अ0सं0 731/2017 धारा 379, 411, 419, 420, 467, 468, 471 भादवि, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।
6. मु0अ0सं0 005/2021 धारा 379, 41, 411, 413, 419, 420, 465, 467, 468, 471 भादवि, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।
7. मु0अ0सं0-628/2026 धारा 303(3)/305 बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।
8. मु0अ0स0 658/26 धारा-331 (3) 305 बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 अंकित कुमार तिवारी मय हमराह हे0का0 नासिर कमाल, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।